

R 112. III/87 CIL



न्यायालय राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश शासन - ग्वालियर म.प्र.

निरारानी आवेदन प्राथमिगण की ओर से धारा 50 म.प्र.

भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

- 1. पन्नालाल पिता हरचन्दजी कुलम्बी निवासी ग्राम डोलाना तहसील बदनावर जिला धार म.प्र.
- 2. गंगाबाई बेवा मोहनजी जाति कुलम्बी निवासी ग्राम डोलाना तहसील बदनावर जिला धार म.प्र. — प्राथमिगण बनाम

1. केलाशापुरी पिता चतुरपूरी बावाजी निवासी ग्राम छोटाकठोडिया तहसील बदनावर जिला धार

2. रामरतन पिता भोखालजी कुलम्बी निवासी ग्राम डोलाना तहसील बदनावर जिला धार म.प्र.

3. रमेश पिता कादीराम कुलम्बी निवासी डोलाना तहसील बदनावर जिला धार म.प्र.

4. गणेश पिता कादीराम कुलम्बी निवासी डोलाना तह. बदनावर

5. शंभू पिता कादीराम निवासी डोलाना तहसील बदनावर

6. मीरा पिता कादीराम कुलम्बी निवासी डोलाना तहसील बदनावर क्रमांक 5,6 अवयस्क पालन कर्ता माता धापुबाई बेवा कादीराम

निवासी ग्राम डोलाना तहसील बदनावर जिला धार

7. धापुबाई बेवा कादीराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम डोलाना तहसील बदनावर जिला धार म.प्र. — अनावेदकगण निरारानी अर्ज प्रोसेस देने में झुटी क्षमा की जाने बाबद /

प्राथमिगण, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर शंभाग द्वारा निरारानी आवेदन प्रकरण क्रमांक 180/83-84 में दिये गये आदेश दिनांक 6-4-1987 के आदेश जिसके द्वारा प्राथमि की

कार्यालय कलेक्टर, धार  
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत  
19-6-87  
दिनांक-

अधीक्षक.

exclusion  
28-7-85

5  
27-87

स्टैंड बोर्ड द्वारा आज दिनांक  
1 भाष

27-87  
कानून का कोर्ट  
जिल्ला

16.6.2015

16-6-15

आवेदक का पुत्र शिवनाथन  
 उपस्थित। यह प्रकरण वर्ष 1987 से  
 लम्बित है। अनावेदकता को सुनना  
 पर तामीव नहीं हो रहे हैं। मृतकों  
 के वारिसों को भी विधिवत आमिषण  
 पर नहीं धरया गया है। अतः इस  
 विगतनी को चरणों का कोई अर्थवैक्य  
 नहीं है। इस आयाज्य में यह नीलरी  
 विगतनी है, मूय प्रकरण अभी तक ही

आयाज्य में लम्बित है। अतः  
 तहजीलतों को विद्वेषित किया जाता  
 है। लम्बित पत्रकारों को सुनवाई का  
 अवसर देते हुए मृतकों के वारिसों  
 को विधिवत आमिषण पर धिया जाकर  
 तीन मल माह में प्रकरण का निराकरण  
 किया जाये।

  
 अध्यक्ष

शिवनाथन